रिपोर्ट पटवारी अरनोद तहसील चाकसू जिला जयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम अरनोदा की खाता संख्या 14 में प्रार्थी का नाम मूल्या s/o कल्याण दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम मूलचन्द s/o क दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंष है। अतः ग्राम अरनोदा की खाता संख्या 14 में दर्ज नाम मूल्या s/o कल्याण के बजाय सही इन्द्राज मूलचन्द s/o कल्याण दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

भू–अभिलेख निरीक्षक

कार्यालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर

भू.अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम अरनोदा की जमाबन्दी की खाता संख्या 14 में दर्ज नाम मूल्या s/o कल्याण के बजाय सही नाम मूलचन्द s/o कल्याण दर्ज किया जाना उचित है।

क्रमांक/कैम्प/23/113 दि० 06/6/23
श्रीमान उपखण्ड अधि० महो० चाकसू

हस्ताक्षर तहसीलदार (मय सील)
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर

(राहत कैम्प बरनोदा)

प्रकरण संख्या 95 / 2023

दिनांक 06/06/23

5605
15/6/23

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार ~~अरनोद~~ चाकसू की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम अरनोदा की जमाबन्दी की खाता संख्या 14 में दर्ज नाम/इन्द्राज मूल्या s/o कल्याण के बजाय सही नाम/इन्द्राज मूलचन्द s/o कल्याण दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार ~~अरनोद~~ चाकसू आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)